



Neutral Citation No.-2026:AHC:8410

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-12392 वर्ष 2024

शोभा राम आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अंसार अहमद, संध्या चतुर्वेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, पंकज कुमार ओझा, शिव कुमार, शिव पूजन यादव,

विवेक सिंह

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अंसार अहमद, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री पंकज कुमार ओझा, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखे गए तथ्यों का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा 2023 के अपराध संख्या-97 में धारा 302, 323 भ०द०वि०, थाना-शेहल, जिला: औरैया के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक और छह अन्य आरोपी व्यक्तियों ने सूचनाकर्ता सिंकू @ सुखवेंद्र के बेटे को अपने घर बुलाया था, जिससे 15.6.2023 की आधी रात को सूचनाकर्ता और परिवार के अन्य सदस्यों ने अपने बेटे की चीखें सुनी और घर की छत पर पहुंचे और पाया कि आवेदक और अन्य आरोपी व्यक्ति मृतक व्यक्ति पर ईंटों और कुल्हाड़ी से



हमला कर रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई थी सूचना देने वाले का बेटा शोभा राम (आवेदक) की पत्नी के साथ, जिसके हाथ बंधे हुए थे।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। ये आरोप झूठे हैं। यह सच है कि मृतक का आवेदक की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, लेकिन आवेदक ने उक्त अपराध नहीं किया है।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि एक चश्मदीद गवाह महेंद्र था, जिसे सुनने में कठिन बताया गया है, इस प्रकार, उसके मृत व्यक्तियों की चीखें सुनने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 15.6.2023 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. तत्सम विपरीत, सूचनाकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि यह एक खुला और बंद मामला है क्योंकि सूचनाकर्ता के बेटे और आवेदक की पत्नी के शव केवल आवेदक के घर से पाए गए थे, इस प्रकार, उन दोनों को आवेदक और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा मार दिया गया था। मृतक के शरीर पर कई चोटें आई थीं।

8. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में है और आवेदक के घर से दो मृत व्यक्तियों का शव पाया गया था, जिसने उक्त अपराध करने का मकसद रखा था, मुझे यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता।

9. जमानत आवेदन योग्यता से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए ।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 13, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)